समयबद्ध / महत्वपूर्ण।

संख्या। 327 /38–7–07–37एनआरईजीए/07टी0सी0

प्रेषक,

देवेन्द्र चौधरी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी (39 जनपद),
बांदा, कुशीनगर, चित्रकूट, हमीरपुर,हरदोई, बाराबंकी, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर, रायबरेली, सोनभद्र, आजमगढ़, फतेहपुर, गोरखपुर, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, उन्नाव, चन्दौली, सीतापुर, झांसी, कानपुर देहात, मऊ, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराईच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोण्डा, बलिया, बंदायू, एटावा एवं फर्रूखाबाद।

ग्राम्य विकास अनुभाग--7 लखनऊ दिनांक 20सितम्बर, 2007

विषयः **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उत्तर प्रदेश से आच्छादित जनपदों में पंचायत सचिव का ग्राम पंचायत में उपस्थिति का रोस्टर तैयार करना।**

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना उ0प्र0 के कियान्वयन में गतिशीलता लाने हेतु कार्यो का इस प्रकार से नियोजन किया जाना अति आवश्यक है कि योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कुराया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि उक्त योजना से आच्छादित प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक कार्य के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

2, ग्राम पंचायत स्तर पर योजना के कार्यो के निष्पादन का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत सचिव यथा ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी के लिए निर्धारित किया गया है। प्रदेश में उक्त कर्मियों की कुल उपलब्धता अधिष्ठापित पदों के सापेक्ष शतप्रतिशत नहीं है। परिणाम्स्वरूप एक ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा एक से अधिक ग्राम पंचायतों के कार्यो के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जा रहा है जिसके कारण ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिव की उपस्थिति सुनिश्चित करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है जिससे ग्राम विकास विभाग के विभिन्न योजनायें विशेषकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के कार्यो की प्रगति एवं गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी का उपस्थिति रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाए कि आवंटित ग्राम पंचायतों के मध्य ग्राम पंचायत सचिव की उपस्थिति दिवसवार ग्राम पंचायत में नियत हो जाए। ग्राम पंचायत सचिव का उपस्थिति रोस्टर तैयार करते समय दृष्टिगत रखा जाए कि एक सप्ताह में ग्राम पंचायत सचिव के अधीन समस्त ग्राम पंचायतों में उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

4. इस प्रकार से तैयार किया गया "ग्राम पंचायत सचिव का उपस्थिति रोस्टर" संलग्न प्रारूप में प्रख्यापित किया जाए तथा जनपद के सभी जन प्रतिनिधिगण को इसे उपलब्ध कराते हुए व्यापक स्तर पर प्रचारित कर दिए जाए ताकि आम जनमानस को पंचायत सचिव की उपस्थिति के सम्बन्ध में पूर्व से ही जानकारी रहे।

5. विशेष अभियान के तहत 15 अक्टूबर, 2007 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव उपस्थिति रोस्टर के अनुसार रात्रि विश्राम ग्राम पंचायत में ही सुनिश्चित करेगें।

6. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(देवेन्द्र चौधरी)
प्रमुख सचिव।

संख्या/357(1)/38-7-07-37एनआरईजीए/07टी0सी0तद् दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेंषितः-

1. आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त उ0प्र0।
3.. सम्बन्धित संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
4 सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

19/9/07

(अजय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्या- 1307 /38-7-07-42 एनआरईजीए/07

प्रेषक,

देवेन्द्र चौधरी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 शासन।

विषयः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 यथासंशोधित के आधार पर शिडयूल दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री त्रिभुवन राम, मुख्य अभियन्ता (विकास), विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का पत्र संख्या 712 कैम्प प्र0अ0विकास/1सरकुलर/2007 दिनांक 31 अगस्त, 2007 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया संलग्न पत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.8.2007 एवं शासन के पत्र दिनांक 07.8.2007 के सन्दर्भ में सम्पूर्ण प्रदेश में वयस्क कर्मकारों के लिए मजदूरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दरें रू0 2600/- प्रति माह अथवा रू0 100/- प्रतिदिन दिए जाने के आदेशों के संदर्भ में श्रम दरों के आधार पर लोक निर्माण विभाग की शिड्यूल दरों को पुर्ननिर्धारित किए जाने के आदेश समस्त मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, उ0प्र0 को निर्गत किए गए है।

कृपया लोक निर्माण विभाग के उक्त पत्र की प्रति समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को अपने स्तर से यथावश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देवेन्द्र चौधरी)
प्रमुख सचिव।